फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

प्रशासनिक सुधार विभाग

अनुदान संख्या व नाम :- अनुदान संख्या- 46 वित्तीय वर्ष 2015-16

(धनराशि हजार रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा		निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखाशीर्षक (15, डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान विनियोग (2-5)	लेखाशीर्षक (15, डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन-00&01&oru	30000	1250	1250	1250	28750	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन-00-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	100	1350	1250	1250	1350
योग-	30000	1250	1250	1250	28750		100	1350	1250	1250	1350

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

01- वेतन- आयोग में सूचना आयुक्त का पद रिक्त होने के कारण एवं आयोग कार्यालय में नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण आउटसोसिंग के माध्यम से कार्मिकों से कार्य लिये जाने की दशा में वेतन मद में बचत होने की संभावना है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

02- स्तम्भ-8 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से हैं :-

44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा हेतु अन्य प्रासंगिक व्यय- उ0प्र0 आयोग में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत राज्य मुख्यालय पर तैनात समस्त जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने हेतु उक्त मद में धनराशि की आवश्यकता।

2- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, व 151, में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

संख्या- आर0ई0 48-यू0ओ0-ई-9-254/दस-2015, दिनांक 15 जुलाई, 2015

महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उ0प्र0, इलाहाबाद।

राम सुमेर
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

भवेश रंजन
उप सचिव।

संख्या- 23/2015/1190/43-1-2015-14(29)/2015 दिनांक जुलाई, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
4- लेखाकार, राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 (तीन प्रतियाँ)
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से,

(भवेश रंजन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।